भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *284

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

टोल शुल्क कम किए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता

*284. श्री दिनेशभाई मकवाणा

श्री धर्मबीर सिंहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार टोल शुल्क कम किए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित करेगी;

(ख) क्या विसंगतियों को रोकने के लिए सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार जनता की मांग और क्षेत्रीय संपर्क संबंधी समस्याओं पर विचार करते हुए भिवानी- महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्गों पर टोल शुल्क की समीक्षा करेगी और उसे युक्तिसंगत बनाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

"टोल शुल्क कम किए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता" के संबंध में श्री दिनेशभाई मकवाणा और श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *284 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली और संबंधित रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार संग्रहित किया जाता है।

राजमार्गों के उन्नयन के दौरान अर्थात् जब भी, 4-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का 6 या अधिक लेन में उन्नयन/चौड़ीकरण किया जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 75% तक कम हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी ऐसे खंड, जिसमें पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन से अधिक, लेकिन चार लेन से कम हो, जिस पर कैरिजवे को तीन मीटर या उससे अधिक चौड़ा करके पर्याप्त सुधार किया गया हो, के उपयोग के लिए शुल्क की दर, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत चार या अधिक लेन के लिए निर्दिष्ट शुल्क की दर का साठ प्रतिशत होगी।

सभी टोल लेनदेन की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है, जिससे प्रयोक्ता शुल्क का सटीक और समय पर संग्रहण सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) विस्तृत टोल राजस्व रिपोर्ट, प्रयोक्ता शुल्क दरों की जानकारी और संग्रहित राजस्व प्रकाशित करता है, जिससे डेटा सार्वजनिक डोमेन में जनता और हितधारकों के लिए सुलभ हो जाता है।

(ख) प्रयोक्ता शुल्क दरें, राष्ट्रीय राजमार्ग- शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और प्रयोक्ता शुल्क दरों को प्रत्येक शुल्क प्लाजा के साथ ही एनएचएआई की वेबसाइट (https://tis.nhai.gov.in/) पर टोल सूचना प्रणाली (टीआईएस) पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रयोक्ता शुल्क दरों में परिवर्तन के व्यापक प्रचार के लिए तथा विसंगतियों (यदि कोई हो) को रोकने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन के समाचार पत्रों में प्रसारित किया जाता है।

(ग) वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित किया जाता है, नियमों के तहत पूरे देश में आधार दरें तय की जाएंगी, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी स्थान हो। इसके अलावा, सरकार प्रयोक्ता शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने और वार्षिक पास प्रणाली की शुरुआत सहित शुल्क प्लाजा पर सड़क प्रयोक्ता की सुविधा को बढाने के लिए कार्य कर रही है।

*****